

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर / ई - 7536

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टों ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आंवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को जमा कराना आवश्यक होगा। आंवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं	कार्यालय का नाम जिसमें खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण					प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (टन में)	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन बोली की दिनांक	ऑनलाइन बोली का समय	एनेक्षर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। (नोट:- एनेक्षर वेबसाइट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।)
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खनि अभियंता, आमेट प्लॉट क्रमांक BJ -180/2024	गैर मुमकिन नदी	देलाणा, चम्पागुड़ा, सेलागुड़ा, आमेट	आमेट	राजसमंद	68.95	199572.74	40 लाख	2758000	23.10.24	24.10.24	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	एनेक्षर-1
2	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक बीजे-22	गैर मुमकिन नदी	बागूदार, केशरपुरा	जहाजपुर	शाहपुरा	70.1892	758042	40 लाख	2807600	23.10.24	24.10.24	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेक्षर-2
3	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 126 (बजरी प्लॉट नम्बर-08)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	99.5423	272123.76	40 लाख	3981720	23.10.24	24.10.24	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्षर-3
4	खनि अभियंता, आमेट प्लॉट क्रमांक BJ -181/2024	गैर मुमकिन नदी	आमेट, गांगागुड़ा, भोपालपुरा, भोलीखेड़ी, किशनपुरिया	आमेट	राजसमंद	85.242	220140.396	40 लाख	3409680	04.11.24	05.11.24	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	एनेक्षर-4

Signature valid



Digital signature by Bhagwati Prasad
Khalal
Designation : Director
Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
Reason: Approved Page 1 of 7

5	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक बीजे-23	गैर मुमकिन नदी	केशरपुरा, भरपीकलां	जहाजपुर	शाहपुरा	55.4796	599178	40 लाख	2219200	04.11.24	05.11.24	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेकशर-5
6	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 127 (बजरी प्लॉट नम्बर-09)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	53.6150	146570.00	40 लाख	2144600	04.11.24	05.11.24	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेकशर-6
7	खनि अभियंता, आमेट प्लॉट क्रमांक BJ -184/2024	गैर मुमकिन नदी	भीलमगगरा	सरदारगढ़	राजसमंद	50.35	178427.8125	40 लाख	2014000	06.11.24	07.11.24	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	एनेकशर-7
8	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक बीजे-42	गैर मुमकिन नदी	बागूदार, केशरपुरा	जहाजपुर	शाहपुरा	89.1236	962534	40 लाख	3564960	06.11.24	07.11.24	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेकशर-8
9	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 128 (बजरी प्लॉट नम्बर-10)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	57.5543	151511.712	40 लाख	2302200	06.11.24	07.11.24	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेकशर-9
10	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 147 (बजरी प्लॉट नम्बर-20)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	51.0993	155214.1237	40 लाख	2044000	11.11.24	12.11.24	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	एनेकशर-10
11	खनि अभियंता, आमेट प्लॉट क्रमांक BJ -185/2024 RajKai Ref 9221696	गैर मुमकिन नदी	करतवास, कलामतो का खेड़ा, काबरी, किशनपुरा, गलवा, वीरवास, देवरिया, लोढ़ीयाना, गाडरीयास	सरदारगढ़	राजसमंद	89.12	252655.20	40 लाख	3564800	11.11.24	12.11.24	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.	एनेकशर-11
12	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 148 (बजरी प्लॉट नम्बर-21)	गैर मुमकिन नदी	दिवान्दी	रोहट	पाली	46.8722	128136.87	40 लाख	1874920	11.11.24	12.11.24	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेकशर-12

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
 Kalal
 Designation : Director
 Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
 Reason: Approved Page 2 of 7

अ महत्वपूर्ण बिंदुः—

- 1 खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्ष के लिये होगी।
- 2 आंवटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 14 के अनुसार प्रत्येक प्लॉट के लिए निर्धारित एनेक्शर पर उपलब्ध है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ हैं, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 3 ई—नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई—ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रिमियम राशि का समायोजन रिश्वर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- 4 खननपट्टे का आंवटन एवं ई—ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- 5 खनन पट्टा धारक को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन हेतु जारी होने वाली पर्यावरण अनुमति के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक रिप्लेनिश्मेंट स्टडी विभागीय ऐजेंसी द्वारा कराये जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क राशि के रूप में जमा करानी अनिवार्य होगी।
- 6 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई—नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई—नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई—नीलामी रद्द की जायेगी। ई—नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई—~~नीलामी~~ प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी आदि ने पूर्व में ही एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी लिमिटेड के फोन नंबर पर आपश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई—नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता— कमरा नं 114, फर्स्ट फ्लोर, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाईन नम्बर 0294-2415091 (एस्टेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई—मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास—ग्रेड का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रूफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई—मेल आई.डी. पर भिजवाई जायेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई—मेल से भिजवाने होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Katal
Designation : Director
Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
Reason: Approved Page 3 of 7

स ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाइन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एस.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजिव प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय के दौरान “सेलफ ओथराइज” करना आवश्यक है, अन्यथा वे नीलामी की निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिर्डिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जायेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जायेगी। जिसकी एमएसटीसी लिंग द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहृत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
- 9 सप्ताह बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत में से बची हुई राशि जमा कराते हुए, निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-डियूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टरेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रुपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब, स, द, ई वेबसाईट पर अपलोड है, जो भी लागू हो, उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें। 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉर्ट अॉफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Khalal
Designation : Director
Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
Reason: Approved Page 4 of 7

नोट—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- (vi) PAN card / GSTIN की प्रति।
- (vii) एड्रेस पुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- (viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

1 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिवार किया जायेगा।

द शासन के पत्र कमांक प.20(8)खन/ग्रुप-2/2023 पार्ट दिनांक 07-10-2023 से खनिज बजरी के खननपट्टें आंवटन की प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित बिन्दुओं की तथा उसमें समय—समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना खनन पट्टाधारी को अनिवार्य रूप से करनी होगी:-

- 1 प्लॉट के क्षेत्र में लीजधारक द्वारा नदी के किनारों से भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जावेगा।
- 2 लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टर वे-ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एकिजट पॉइंट अलग-अलग होंगे।
- 3 जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वे-ब्रिज स्थापित/अधिकृत किये जायेंगे, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के स्थापित/अधिकृत निकटतम तीन तुलाई यंत्रों में से किसी एक पर ही बजरी वाहनों का वजन तथा रवन्ना confirm कराया जाना आवश्यक होगा।
- 4 जिन प्लॉटों में नदी क्षेत्र में बजरी की मात्रा आनुपातिक रूप से कम है (जैसे नदी के उद्गम के बाद से बहाव क्षेत्र की शुरुआती दूरी), ऐसे क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए एच.ई.एम.एम. मशीन द्वारा खनन प्रतिबंधित रहेंगे एवं ऐसे प्लॉटों में मैन्युवल मार्टिनिंग का प्रावधान रखा जावेगा।
- 5 लीजधारक खनिज बजरी का चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुना होगी, जिसमें रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी, आर.एस.एम.ई.टी अन्य समस्त कर एवम् लोडिंग सम्मिलित होगी जो समय—समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर समानुपातिक रूप से परिवर्तनशील रहेगी एवं तदनुसार चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा। बजरी की बेचान की अधिकतम कीमत में नदी से बजरी की भराई, बजरी का नदी से स्टॉक स्थल पर परिवहन तथा स्टॉक स्थल से बजरी की पुनः भराई की लागत सम्मिलित है। निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर खनिज बजरी का विक्रय चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर नहीं किया जा सकेगा।
- 6 पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति व अन्य स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन किया जावेगा। अनियमितता होने की स्थिति में नियमानुसार खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा।
- 7 खनन पट्टा धारक द्वारा खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Khal
Designation : Director
Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
Reason: Approved Page 5 of 7

- 8 गैर—मुमकिन नदी नालों के क्षेत्रों में जहां पर किसी भी विभाग द्वारा अन्य कार्यों यथा पेटा काश्त या अन्य किसी प्रयोजनार्थ व्यक्ति/संस्था को अनुमति दी गई है/आवंटित की हुई है तो ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टाधारक संबंधित व्यक्ति/संस्था (जिसके पक्ष में अनुमति दी हुई है/आवंटित है) की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनिज बजारी का दोहन कर सकेगा।
- 9 खनन पट्टा धारक गैर—मुमकिन नदी—नाला क्षेत्रों में गिरने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र जेसे शमशान, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुएं, से 45 मीटर की परिधि में, सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर तथा अन्य किसी वन विभाग या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकेगा। खनन पट्टाधारक समय—समय पर जारी निर्देशों/पर्यावरण अनुमति में अनुमत गहराई, जो भी कम हो, तक खनन कार्य सीमित रखेगा।
- 10 खनन पट्टा धारक द्वारा क्षेत्र में कोई स्ट्रक्चर जो कि अवरुद्ध करता हो, नहीं बनायेगा। खनन कार्य हेतु उपयुक्त गहराई की बैंचेज बनानी होगी। खनन कार्य हेतु माननीय उच्चाम न्यायालय/अन्य न्यायालयों तथा सेंड माइनिंग गार्डलाईन्स के अनुसार किया जावेगा।
- 11 खनन पट्टा धारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा।
- 12 खनन पट्टा धारक द्वारा बजारी खनन कार्य सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर एवं नदी—नालों के वाटर लेवल से नीचे नहीं किया जायेगा तथा रेल/सड़क पुल के 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 13 खनन पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में जगह—जगह माइनिंग नहीं की जावेगी।
- 14 खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजारी की माइनिंग नदी के बीच में डाउन स्ट्रीम के बीच में आधा मीटर मोटाई की स्लाईस में की जा सकेगी। नदी की गहराई पर मिट्टी की सतह पर 1.5 मीटर ऊपर बजारी छोड़नी होगी।
- 15 नदी के दोनों किनारों पर FAUNA & FLORA को संरक्षित रखना होगा।
- 16 जिन स्थानों पर बजारी का खनन कार्य किया जा चुका है, उन स्थानों को नदी में उपलब्ध भराव से ही समतल करके पाट दिया जावेगा। इसके लिए बाहर का कोई कचरा/मलबा नहीं डाला जा सकेगा।
- 17 नदी क्षेत्र में खनन कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि आस—पास पौधारोपण पुनः पनप सकें। खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का पौधारोपण किया जावेगा। जो रास्ते अनुपयोगी हैं, उनको स्थानीय प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण किया जावेगा।
- 18 नदी / नालों का एवं इनके आसपास जो नहरें बनी हुई है उनका प्रवाह बाधित नहीं किया जावेगा तथा उनके किनारों का समुचित रख रखाव किया जावेगा।
- 19 प्रदेश में मानसून प्रारम्भ व समाप्ति की अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। पट्टाधारी को मानसून अवधि में दो माह खनन कार्य खनन पट्टा क्षेत्र में बंद रखना होगा। इस अवधि में पट्टाधारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2021 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नदी नालों से 2 किमी. की परिधि में अधिकतम तीन स्थान (location) अनुमत करा भण्डारण कर निर्गमन करने की अनुमति दी जायेगी।
- 20 खनिजपट्टाधारी द्वारा Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा संख्या 11(III) तथा MoEF&CC द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 की पालना की जानी होगी।
- 21 पट्टाधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिशुल्क निर्धारण करवाना होगा।
- 22 पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार अधिशुल्क राशि का दस प्रतिशत राशि के बराबर डी.एम.एफ.टी.) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट नियम, 2020 के नियम 8 के उप—नियम 3 के अंतर्गत आर.एस.एम.इ.टी. व अन्य देय राशि जमा करानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation : Director
Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
Reason: Approved Page 6 of 7

- 23 पट्टाधारी को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय—समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
- 24 खनिज बजरी के खनन के दौरान निकलने वाला खनिज ग्रेवल/बोल्डर का प्रत्येक एक किमी^० के बाद इकट्ठा किया जाकर उसकी दीवार इस प्रकार बनाई जावेगी कि पानी का बहाव अवरुद्ध न हो।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी**ML Bajri X**/2024/ई – 7536

प्रतिलिपि :-

- 1– शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के. का. उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–
- 5– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- 6– अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
- 7– उपविधि परामर्शी, के का उदयपुर को विज्ञप्ति के संबंध में केवियट दायर करने की कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित है।
- 8– अधीक्षण खनि अभियन्ता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- 9– अधीक्षण भूविज्ञानिक – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- 10– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-१/ा/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-१/ा/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/व्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/ डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
- 11–सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ़/चुरू/नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

Signature valid

Digital signature by Bhagwati Prasad
Kalal
Designation: Director
Date: 2024.07.24 / 8:44:10 IST
Reason: Approved Page 7 of 7

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू—विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक		BJ-180/2024	
2	खनिज		बजरी	
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।		खनि अभियन्ता आमेट	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, ज़िला	राजस्व ग्राम— ढेलाणा, चम्पागुड़ा, सेलागुड़ा व आमेट, तहसील— आमेट, ज़िला— राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल		67.9733 हैक्टर	
6	स्थिरमाटक		रु. 4,63,792/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार	
7	भूमि का प्रकार		राजकीय भूमि	
8	प्लॉट की सीमा रेतभूमि के अक्षांतर व देशांतर	Line Up Stream Down Stream	Longitude(E) 73°-52'-39.00101" 73°-52'-38.53101" 73°-54'-41.790012" 73°-54'-39.941201"	Latitude(N) 25°-19'-03.120121" 25°-19'-01.920201" 25°-18'-45.370120" 25°-18'-44.512201"

(गोपाल कच्छी)
 खनि अभियन्ता,
 आमेट, ज़िला राजसमन्द

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																											
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-22																										
2	खनिज	बजरी																										
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																										
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम बागुदार, केशरपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																										
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	70.1892 हैक्टेयर																										
6	स्थिर भाटक	रुपये 5,61,520/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																										
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी ग्राम बागुदार ख.सं.-796, 796/1, 797 एवं ग्राम केशरपुरा ख.स. 1, 42																										
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up Stream</td> <td>A</td> <td>25° 30' 56.13750"</td> <td>75° 08' 34.3020"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>25° 31' 04.46730"</td> <td>75° 08' 30.9266"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td>25° 31' 12.87810"</td> <td>75° 08' 28.7117"</td> </tr> <tr> <td>Down Stream</td> <td>D</td> <td>25° 31' 41.3744"</td> <td>75° 09' 15.2499"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>25° 31' 54.9411"</td> <td>75° 09' 01.3383"</td> </tr> </tbody> </table>			Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 30' 56.13750"	75° 08' 34.3020"		B	25° 31' 04.46730"	75° 08' 30.9266"		C	25° 31' 12.87810"	75° 08' 28.7117"	Down Stream	D	25° 31' 41.3744"	75° 09' 15.2499"		E	25° 31' 54.9411"	75° 09' 01.3383"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
Up Stream	A	25° 30' 56.13750"	75° 08' 34.3020"																									
	B	25° 31' 04.46730"	75° 08' 30.9266"																									
	C	25° 31' 12.87810"	75° 08' 28.7117"																									
Down Stream	D	25° 31' 41.3744"	75° 09' 15.2499"																									
	E	25° 31' 54.9411"	75° 09' 01.3383"																									

SAPM
ए. खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		प्लॉट का विवरण																		
1.	प्लॉट कमांक	प्लॉट सं. 126, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :-08)																		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	दिवान्दी, रोहट, पाली																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	99.5423 हैक्टेयर																		
5.	खनिज	बजरी																		
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये - 50/- (प्रति टन) एंव समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 39,81,692/-																		
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी राजकीय भूमि																		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षान्तर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°-53'-15.854818"</td><td>72°-52'-37.756070"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-52'-47.420537"</td><td>72°-52'-18.648228"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-52'-34.106881"</td><td>72°-52'-06.033144"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-53'-15.088242"</td><td>72°-52'-56.099709"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°-53'-03.188578"</td><td>72°-53'-05.821032"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-53'-15.854818"	72°-52'-37.756070"	B	25°-52'-47.420537"	72°-52'-18.648228"	C	25°-52'-34.106881"	72°-52'-06.033144"	D	25°-53'-15.088242"	72°-52'-56.099709"	E	25°-53'-03.188578"	72°-53'-05.821032"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षान्तर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																		
A	25°-53'-15.854818"	72°-52'-37.756070"																		
B	25°-52'-47.420537"	72°-52'-18.648228"																		
C	25°-52'-34.106881"	72°-52'-06.033144"																		
D	25°-53'-15.088242"	72°-52'-56.099709"																		
E	25°-53'-03.188578"	72°-53'-05.821032"																		

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी



राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू—विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण		
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-181/2024		
2	खनिज	बजरी		
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट		
4	प्लॉट का राजस्त ग्राम, तहसील, ज़िला	राजस्प ग्राम—आमेट, गांगगुड़ा, भोपालपुरा, किशनपुरिया व भोलीखेड़ा तहसील—आमेट एवं राजस्प ग्राम—किशनपुरिया, तहसील—रारदारगढ़, ज़िला—राजसमन्द		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	77.6610 हेक्टर		
6	रिस्टरस्टार्टक	रु. 6,21,208/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर ढोने याले संशोधनानुसार		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि		
8	प्लॉट की सीमा रेतभूमों के अभान्तर न देशान्तर	Line	Longitude(E)	Latitude(N)
		UP Stream	A 73°-56'-10.730011"	25°-18'-06.820100"
		Down Stream	B 73°-56'-14.260112"	25°-18'-07.400120"
			C 73°-58'-04.312010"	25°-16'-42.221200"
			D 73°-58'-09.031120"	25°-16'-48.091201"

(गोप्यम् बर्च्छ)
खनि अभियन्ता,
आमेट, ज़िला राजसमन्द

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																							
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-23																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम केशरपुरा, भरणीकलां तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																						
5	प्लॉट का क्षैत्रफल	55.4796 हैक्टेयर																						
6	स्थिर भाटक	रुपये 4,43,840/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गेमु. नदी ग्राम केशरपुरा ख.सं.—2 एवं ग्राम भरणीकलां ख.स. 1458 / 592																						
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षांतर (Latitude) व देशांतर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर (Latitude)</th> <th>देशांतर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up Stream</td> <td>A</td> <td>25° 31' 41.3744"</td> <td>75° 09' 15.2499"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>25° 31' 54.9411"</td> <td>75° 09' 01.3383"</td> </tr> <tr> <td>Down Stream</td> <td>D</td> <td>25° 32' 09.7814"</td> <td>75° 09' 32.9923"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>25° 31' 56.1161"</td> <td>75° 09' 41.1468"</td> </tr> </tbody> </table>			Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	Up Stream	A	25° 31' 41.3744"	75° 09' 15.2499"		B	25° 31' 54.9411"	75° 09' 01.3383"	Down Stream	D	25° 32' 09.7814"	75° 09' 32.9923"		E	25° 31' 56.1161"	75° 09' 41.1468"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)																					
Up Stream	A	25° 31' 41.3744"	75° 09' 15.2499"																					
	B	25° 31' 54.9411"	75° 09' 01.3383"																					
Down Stream	D	25° 32' 09.7814"	75° 09' 32.9923"																					
	E	25° 31' 56.1161"	75° 09' 41.1468"																					



खनि अभियन्ता
भीलवाड़ा,

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)


क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण																		
1.	प्लॉट क्रमांक																		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है																		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला																		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल																		
5.	खनिज																		
6.	स्थिर भाटक																		
7.	रॉयल्टी की दर																		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर																		
9.	भूमि का प्रकार																		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशान्तर <table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशान्तर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>25°-53'-15.088242"</td> <td>72°-52'-56.099709"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25°-53'-03.188578"</td> <td>72°-53'-05.821032"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25°-53'-31.694157"</td> <td>72°-53'-13.770363"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>25°-53'-26.335357"</td> <td>72°-53'-20.385173"</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>25°-53'-07.934222"</td> <td>72°-53'-36.649956"</td> </tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)	A	25°-53'-15.088242"	72°-52'-56.099709"	B	25°-53'-03.188578"	72°-53'-05.821032"	C	25°-53'-31.694157"	72°-53'-13.770363"	D	25°-53'-26.335357"	72°-53'-20.385173"	E	25°-53'-07.934222"	72°-53'-36.649956"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशान्तर (LONGITUDE)																	
A	25°-53'-15.088242"	72°-52'-56.099709"																	
B	25°-53'-03.188578"	72°-53'-05.821032"																	
C	25°-53'-31.694157"	72°-53'-13.770363"																	
D	25°-53'-26.335357"	72°-53'-20.385173"																	
E	25°-53'-07.934222"	72°-53'-36.649956"																	


 खनि अभियन्ता,
 खान एवं भू विज्ञान विभाग,
 सोजत सिटी
 छ.न अभियन्ता
 खान एवं भू विज्ञान विभाग
 सोजत सिटी (पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.	विवरण				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-184/2024			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट			
4	प्लॉट का राजस्थानी ग्राम, तहसील, ज़िला	राजस्थानी ग्राम—भीलमगाड़, तहसील—सरदारगढ़, ज़िला—राजसमन्द			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	50.350 हेक्टर			
6	स्थिरभाटक	रु. 4,02,800/- प्रति वर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय ग्रौमि			
8	प्लॉट की सीमा स्तम्भों के अस्थान व देशान्तर	Line	Longitude(E)	Latitude(N)	
		UP	73°-58'-13.340011"	25°-16'-47.941230"	
		Stream	B	73°-58'-05.560200"	25°-16'-40.251124"
		Down	C	73°-59'-00.320130"	25°-15'-33.912032"
		Stream	D	73°-58'-58.901200"	25°-15'-33.912032"



(गोपाल बच्छ)
खनि अभियन्ता,
आमेट, ज़िला राजसमन्द

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाडा (राज.)
EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																							
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-42																						
2	खनिज	बजरी																						
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, भीलवाडा																						
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम रावतखेड़ा, शक्करपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा																						
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	89.1236 हैक्टेयर																						
6	स्थिर भाटक	रुपये 7,12,992/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																						
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी रावतखेड़ा ख.सं.—2 एंव शक्करपुरा ख. स. 241 / 200																						
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up Stream</td> <td>A</td> <td>25° 36' 54.2330"</td> <td>75° 13' 55.3934"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>25° 36' 53.0442"</td> <td>75° 13' 39.2757"</td> </tr> <tr> <td>Down Stream</td> <td>D</td> <td>25° 37' 49.7401"</td> <td>75° 13' 25.7648"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>25° 37' 48.0357"</td> <td>75° 13' 46.8387"</td> </tr> </tbody> </table>			Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 36' 54.2330"	75° 13' 55.3934"		B	25° 36' 53.0442"	75° 13' 39.2757"	Down Stream	D	25° 37' 49.7401"	75° 13' 25.7648"		E	25° 37' 48.0357"	75° 13' 46.8387"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																					
Up Stream	A	25° 36' 54.2330"	75° 13' 55.3934"																					
	B	25° 36' 53.0442"	75° 13' 39.2757"																					
Down Stream	D	25° 37' 49.7401"	75° 13' 25.7648"																					
	E	25° 37' 48.0357"	75° 13' 46.8387"																					

4. Sharma
खनि अभियन्ता
भीलवाडा,

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		प्लॉट का विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 128, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या -10)															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, ज़िला	दिवान्दी, रोहट, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	57 5543 हैक्टेयर															
5.	खनिज	बजारी															
6.	स्थिर भाटक	रुपये 8,000 / (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये - 50 /-(प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 23,02,172/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.म. नदी व गै. मू. बाला राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश व दैशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांश (LATITUDE)</th> <th>दैशांतर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°-53'-17.289578"</td><td>72°-51'-47.166833"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-53'-31.150135"</td><td>72°-51'-47.162792"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-53'-15.922745"</td><td>72°-52'-37.638847"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-52'-56.580639"</td><td>72°-52'-24.126232"</td></tr> </tbody> </table>	स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांश (LATITUDE)	दैशांतर (LONGITUDE)	A	25°-53'-17.289578"	72°-51'-47.166833"	B	25°-53'-31.150135"	72°-51'-47.162792"	C	25°-53'-15.922745"	72°-52'-37.638847"	D	25°-52'-56.580639"	72°-52'-24.126232"
स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांश (LATITUDE)	दैशांतर (LONGITUDE)															
A	25°-53'-17.289578"	72°-51'-47.166833"															
B	25°-53'-31.150135"	72°-51'-47.162792"															
C	25°-53'-15.922745"	72°-52'-37.638847"															
D	25°-52'-56.580639"	72°-52'-24.126232"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी



खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड, चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण		
1.	प्लॉट कमांक		
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है		
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला		
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल		
5.	खनिज		
6.	स्थिर भाटक		
7.	रॉयल्टी की दर		
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर		
9.	भूमि का प्रकार		
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE) देशांतर (LONGITUDE)
	A	25° 19' 17.27086"	73° 23' 08.54257"
	B	25° 19' 09.93396"	73° 23' 05.96407"
	C	25° 19' 29.98343"	73° 24' 45.79380"
	D	25° 19' 09.96584"	73° 24' 32.22751"
	E	25° 19' 05.24302"	73° 24' 39.54521"



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी
कृत अधिकारी
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (प.ली.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट राजसमन्द (राज.)

क्र. सं.		विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-185/2024																				
2	खनिज	बजरी																				
3	कार्यालय का नाम जहों प्लॉट आता है।	खनि अभियन्ता आमेट																				
4	प्लॉट के राजस्व ग्राम, तहसील, ज़िला	राजस्व ग्राम—करतवास, कलामतो का खेड़ा, काबरी, किशनपुरा, लोढ़ीयापाड़, गलवा, बीरनास, माडरियावास व देकरिया, तहसील—सरदारगढ़, ज़िला—राजसमन्द																				
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	69.120 हेक्टर																				
6	सिथरभाटक	रु. 7,19,600/- प्रति वर्ष एवं रामय समय पर होने वाले संशोधनानुसार																				
7	भूमि का प्रकार	सजकीय भूमि																				
8	प्लॉट की सीमा रेतभों के अकान्तर व देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th></th> <th>Longitude(E)</th> <th>Latitude(N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UP</td> <td>A</td> <td>73°-59'-52.641110"</td> <td>25°-13'-53.410201"</td> </tr> <tr> <td>Stream</td> <td>B</td> <td>73°-59'-55.131020"</td> <td>25°-13'-53.422011"</td> </tr> <tr> <td>Down</td> <td>C</td> <td>74°-03'-16.661120"</td> <td>25°-10'-18.510200"</td> </tr> <tr> <td>Stream</td> <td>D</td> <td>74°-03'-16.660012"</td> <td>25°-10'-22.230102"</td> </tr> </tbody> </table>	Line		Longitude(E)	Latitude(N)	UP	A	73°-59'-52.641110"	25°-13'-53.410201"	Stream	B	73°-59'-55.131020"	25°-13'-53.422011"	Down	C	74°-03'-16.661120"	25°-10'-18.510200"	Stream	D	74°-03'-16.660012"	25°-10'-22.230102"
Line		Longitude(E)	Latitude(N)																			
UP	A	73°-59'-52.641110"	25°-13'-53.410201"																			
Stream	B	73°-59'-55.131020"	25°-13'-53.422011"																			
Down	C	74°-03'-16.661120"	25°-10'-18.510200"																			
Stream	D	74°-03'-16.660012"	25°-10'-22.230102"																			

(गोपाल बद्री)
खनि अभियन्ता,
आमेट, ज़िला राजसमन्द

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		प्लॉट का विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 148, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :-21)															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	दिवान्दी, रोहट, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	46.8722 हैक्टेयर															
5.	खनिज	बजरी															
6.	स्थिर भाटक	रुपये - 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयल्टी की दर	रुपये - 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रुपये - 18,74,888/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशांतर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°-53'-26.335357"</td><td>72°-53'-20.385173"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-53'-07.934222"</td><td>72°-53'-36.649956"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-53'-31.855052"</td><td>72°-53'-53.523294"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-53'-23.645392"</td><td>72°-53'-58.126545"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)	A	25°-53'-26.335357"	72°-53'-20.385173"	B	25°-53'-07.934222"	72°-53'-36.649956"	C	25°-53'-31.855052"	72°-53'-53.523294"	D	25°-53'-23.645392"	72°-53'-58.126545"
सीमा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)															
A	25°-53'-26.335357"	72°-53'-20.385173"															
B	25°-53'-07.934222"	72°-53'-36.649956"															
C	25°-53'-31.855052"	72°-53'-53.523294"															
D	25°-53'-23.645392"	72°-53'-58.126545"															



खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (प.ली.)